भोपाल | मंगलवार | 8 जुलाई 2025 | वर्ष 69 | अंक 154 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com | twitter.com/Nava_Bharat | fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से
भोपाल 70 वां वर्ष संस्करण

4 अमेरिका से रकम भेजना कितना महंगा

5 रक्षा अब निवेश का क्षेत्र : राजनाथ

8 दिग्वेश, सिमरजीत और नितीश बिके सबसे महंगे

9 ब्रिक्स पर ट्रंप का टैरिफ हमला

एक नजर में

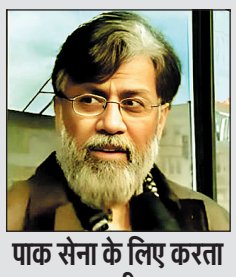

पाक सेना के लिए करता था जासूसी : राणा

नई दिल्ली/मुंबई. मुंबई हमलों (26/11) के मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट तहव्वुर हुसैन राणा ने एनआईए और मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. उसने कबूला है कि हमलों के वक्त वह मुंबई में मौजूद था और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहा था. उसने यह भी माना कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और अन्य जगहों की रेकी उसी ने की थी. पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा, जो इस साल 4 अप्रैल को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, फिलहाल तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है.

आठ लाख का इनामी नक्सली ढेर

बीजापुर. बीजापुर जिले के नेशनल पार्क एरिया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है जिसमें आठ लाख का इनामी डिप्टी कमांडर तथा स्नाइपर सोढ़ी कन्ना मारा गया.सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान उसका शव और 303 राइफल बरामद हुई है. बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादी कैडर की गतिविधियों की सूचना मिली थी. जिस पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा 202 और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर था.

गुस्ताखी माफ

आतंकवाद का कोई धर्म नहीं

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की निर्णायक भूमिका

- भारत 2026 में ब्रिक्स की करेगा अध्यक्षता
- ब्रिक्स नेताओं ने एकमत से पहलगाम हमले की निंदा की

रियो डी जेनेरियो/नई दिल्ली, 7 जुलाई. ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी ने भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका को और अधिक मजबूती प्रदान की. उन्होंने सम्मेलन के दौरान आतंकवाद, वैश्विक संस्थाओं में सुधार, जलवायु परिवर्तन, और डिजिटल सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया.

मोदी ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले का उल्लेख करते हुए आतंकवाद की हर रूप में कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा, आतंकवाद किसी भी देश, धर्म या नस्ल से जुड़ा नहीं होता, और उसे किसी भी रूप में समर्थन देने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. ब्रिक्स नेताओं ने एकमत से इस हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की नीति की पुष्टि की. सम्मेलन के दौरान यह भी घोषणा की गई कि भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और अगला शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और विश्वास का प्रमाण बताया. उन्होंने सभी सदस्य देशों से एकजुट होकर ब्रिक्स को वैश्विक बदलाव का माध्यम बनाने का आह्वान किया.

सम्मेलन के दौरान मोदी ने क्यूबा, मलेशिया और वियतनाम के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय बातचीत कीं. मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ बुनियादी ढांचा, आईटी और नवीकरणीय ऊर्जा में साझेदारी की समीक्षा हुई. वहीं वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ रणनीतिक संबंधों और व्यापार को मजबूत करने पर चर्चा की गई. ब्रिक्स घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, महिला भागीदारी बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन पर समन्वित कार्रवाई की बात दोहराई गई. प्रधानमंत्री मोदी की स्पष्ट सोच और सशक्त नेतृत्व ने इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन को भारत-केंद्रित बना दिया, जो देश की वैश्विक स्थिति को और अधिक मज़बूत करेगा.

> मोदी ने इन बैठकों की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की. प्रधानमंत्री ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल बरमूडेज से मुलाकात के बाद कहा कि मुलाकात अच्छी रही. उन्होंने कहा, इस बातचीत में हमने कई विषयों पर चर्चा की. आने वाले समय में हमारे देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बहुत वृद्धि की संभावना है. प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र भी उतने ही आशाजनक हैं.

लुधियाना में मिला 15600 करोड़ का निवेश

- सीएम ने इंटरैक्टिव सेशन और वन-टू-वन में निवेशकों को दिया न्यौता
- सीएम ने बताया, सिंगरौली में मिली है सोने की खदान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 7 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि लुधियाना भारत का मैन्चेस्टर है. यहां के उद्योगपतियों ने बड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है. लुधियाना में निर्मित ए-वन और हीरो साइकिल्स देश-दुनिया में मशहूर हैं. पंजाब के निवेशक देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख ध्वजवाहक हैं.

सोमवार को लुधियाना में हुये इंटरैक्टिव सेशन, वन-टू-वन चर्चा और संवाद सत्रों में यहां के उद्योगपतियों से 15 हजार 606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिससे 20 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा. हमने लुधियाना और पंजाब के उद्योपतियोंत को मप्र में उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित किया. साथ ही उन्हें मप्र में उपलब्ध संसाधनों के साथ राज्य की औद्योगिक नीतियों से भी अवगत कराया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को पंजाब की उद्योग नगरी लुधियाना में मध्यप्रदेश में निहित निवेश की संभावनाओं के संबंध में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र देश का एकमात्र प्रदेश है, जहां पन्ना जिले में हीरा तो शहडोल में आयरन डिपाजिस्ट्स है. बीते दिनों सिंगरौली जिले में सोने की खदानें भी मिली हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मप्र और पंजाब दोनों भाइयों की तरह हैं. अनाज के उत्पादन में पंजाब बड़ा और मप्र छोटा भाई है. अब दोनों भाई मिलकर देश और मध्यप्रदेश का विकास करेंगे.

(शेष पेज 12 पर)

> **मध्यप्रदेश में अपना दूसरा घर बनाईये**
>
> मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी निवेशकों को मप्र की रत्नगर्भा भूमि में निवेश करने के लिए आत्मीयता से आमंत्रित करते हुए कहा कि यहां व्यापार की असीम संभावनाएं हैं. आइये और मप्र में अपना दूसरा घर बनाईये. उन्होंने कहा कि निवेशक मप्र में जितने चाहें, उतने उद्योग-धंधे लगाएं, सरकार पलक-पावड़े बिछाकर आपका स्वागत करेगी, आपकी हर संभव मदद करेगी. उन्होंने कहा कि मप्र में उद्योग-धंधे लगाने के लिए जरूरत के मुताबिक भूमि, बिजली, पानी, कुशल कार्यशक्ति सब उपलब्ध हैं.

सभी को मिलनी चाहिए जमानत

सीजेआई गवई ने अदालतों की देरी पर जताई चिंता

नयी दिल्ली,7 जुलाई. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई ने हाल ही में अदालतों द्वारा जमानत में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अदालतें बेल नियम है और जेल अपवाद जैसे संवैधानिक सिद्धांतों को भूलती जा रही हैं.

उन्होंने पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता, और प्रबीर पूरकायस्थ के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी को बिना दोष सिद्ध हुए लंबे समय तक जेल में रखा गया. कोच्चि में आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस गवई ने कहा कि बेल यानी जमानत संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार है और इसे अस्वीकार करना तभी उचित होता है जब व्यक्ति से समाज को स्पष्ट खतरा हो. उन्होंने न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर को याद करते हुए कहा कि वह न्यायपालिका में इस सिद्धांत के बड़े समर्थक थे कि जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए. गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में 17 महीने जेल में रहने के बाद बेल मिली थी, वहीं के. कविता को पांच महीने बाद जमानत दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में ट्रायल शुरू होने में देरी को ध्यान में रखते हुए सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उन्हें राहत दी.

बिहार में रेल विकास के लिये केंद्र ने आवंटित किए 10 हजार करोड़ : वैष्णव

समस्तीपुर 7 जुलाई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को 3 करोड़ 30 लाख की लागत से समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम रेलवे स्टेशन के उन्नयन और करीब 14 करोड़ की लागत से बनने वाली भूमिगत मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. वैष्णव ने सोमवार को यहां भूमिगत मार्ग के शिलान्यास के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रेल मंत्रालय यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं. बिहार में रेल विकास के लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है. बाद मे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने समस्तीपुर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया.

हाईकोर्ट का प्रमोशन में आरक्षण पर रोक

- जबलपुर बैंच में सपाक्स संघ की याचिका पर हुई सुनवाई
- तीन अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में की गई थी दायर

जबलपुर, 7 जुलाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा दी है. जबलपुर बेंच में सपाक्स संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने न सिर्फ आरक्षण के तहत प्रमोशन पर, बल्कि हाल ही में बनाए गए प्रमोशन नियम-2025 के क्रियान्वयन पर भी अंतरिम रोक लगा दी है.

कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को आरक्षण के आधार पर पदोन्नति नहीं दी जाए. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पुराने (2002) और नए (2025) नियमों के बीच अंतर स्पष्ट करने को कहा, लेकिन सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर अदालत ने फिलहाल नियमों के अमल पर रोक लगा दी. अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब पदोन्नति से जुड़ा मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो राज्य सरकार ने बिना शीर्ष अदालत से परामर्श किए नए नियम क्यों बनाए?

सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि फिलहाल नए नियमों के तहत कोई प्रमोशन नहीं किया जाएगा. यह नियम जून 2025 में बने थे, जिन्हें लेकर तीन अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं.

गौरतलब है कि 17 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नौ साल से लंबित पदोन्नति का रास्ता साफ किया गया था. इसके बाद कर्मचारियों-अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 26 जून को अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 31 जुलाई तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए.

लेकिन अब हाईकोर्ट की रोक के चलते सरकार की पदोन्नति योजना पर फिलहाल विराम लग गया है और सबकी निगाहें 15 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं.

मणिपुर में स्थिति सामान्य होने में लगेगा कुछ वक्त : संघ

नयी दिल्ली, 07 जुलाई. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सोमवार को कहा कि उनके कार्यकर्ता हिंसाग्रस्त मणिपुर में लोगों के साथ मिल कर शांति के लिए काम कर रहे और अब स्थिति सुधर रही है. संगठन का कहना है कि वहां हालात सामान्य होने में अभी कुछ समय लगेगा. आएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए हमारे कार्यकर्ता वहां लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं. वे कुक्की और मैतेई समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों के साथ संपर्क में हैं और उन्होंने (वहां की स्थिति के बारे में) जो जानकारी दी है, वह अच्छी है. साथ ही महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच अहम बयान दिया है. संघ का कहना है कि सभी भाषा उसके लिए मातृभाषा है.

न्यायाधीश के यहां मिली नकदी आपराधिक कृत्य : धनखड़

अब तक एफआईआर दर्ज न होने पर जताई चिंता

कोच्चि में छात्रों व शिक्षकों के साथ किया संवाद

नई दिल्ली, 7 जुलाई. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में अब तक एफआईआर दर्ज न होने पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने इसे केवल संवैधानिक मुद्दा नहीं, बल्कि आपराधिक कृत्य बताते हुए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है.

उन्होंने कहा कि इसका स्रोत क्या है? यह किसी न्यायाधीश के सरकारी आवास में कैसे पहुंचा? यह धन किसका है? इस घटनाक्रम में कई दंडात्मक प्रावधानों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए उन्होंने उम्मीद जतायी कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. हमें इस मुद्दे की जड़ तक जाना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है. न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास अडिग है, लेकिन ऐसी घटनाएं इस नींव को हिला सकती हैं.

कोच्चि स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, हम एक परिपक्व लोकतंत्र हैं, जहां कानून के समक्ष सभी समान हैं.

> यदि किसी न्यायाधीश के आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलती है, तो इसका स्रोत, स्वामित्व और वहां तक उसकी पहुंच जैसे सवालों की जांच होना जरूरी है. उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि यह जानना आवश्यक है कि क्या यह काला धन है, और यह वहां कैसे पहुंचा. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होगी और जांच निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगी.